23/11/22 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/12/22 को पेश हो। साक्ष्य में प्रार्थी व श्री कुरडाराम गुर्जर का शपथ पत्र पेश हुआ। शामिल मिसल किया जावे।

21/12/22 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/02/23 को पेश हो।

24/2/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 3/5/23 को पेश हो।

3/5/23 पत्रावली पेश हुई। मंत्रालयिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर होने के कारण पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 26/6/23 नियत की जाती हैं।

26/6/23 वकील प्रार्थी उप०। साक्ष्य प्रार्थी हेतु अवसर चाहा गया। अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 21/8/23 को पेश हो।

प्रा0पत्र सं. 327 / 22,राधेश्याम बनाम भूमिधारी

21/8/2023 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों का दौहरान करते हुये कथन किया कि ग्रांम बृसिंहवास की भूमि ख.न. 159, 161, 255, 256, 257, 258, 89, 91, 92 किता 9 रकबा 3.39 है. व ख0न0 85 रकबा 0.80 है0 में प्रार्थी 1/36 हिस्से का खातेदार है। उक्त भूमि की खातेदारी में प्रार्थी का नाम लाला पुत्र रूड़ाराम बचपन का नाम दर्ज हो गया। प्रार्थी को घर परिवार पर बचपन में प्यार से लाला के नाम से बुलाते थे। इस कारण रिकार्ड में लाला दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम राधेश्याम है। प्रार्थी ने अपने सभी दस्तावेज पेश किये है जिसमें प्रार्थी का सही नाम राधेश्याम पुत्र रूड़ाराम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी से भी मेरे प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुष्टि होती है। ग्राम पंत्रायत का प्रमाण पत्र व सह खातेदार कुरड़ाराम का शपथ पत्र भी पेश किया है जिससे मेरे प्रार्थना पत्र साबित होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की सुनने बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड दस्तावेज का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड ग्राम बृसिंहवास खाता संख्या 21 किता 9 रकबा 3.39 है. व खाता सं. 36 किता 1 रकबा 0.80 है0 के 1/36 हिस्से की खातेदारी लाला पुत्र रूड़ाराम के नाम दर्ज रिकार्ड है। शेष हिस्सा अन्य खातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का कथन कि प्रार्थी को बचपन में घर परिवार में प्यार से लाला के नाम से बुलाया जाता था इस कारण राजस्व रिकार्ड में लाला पुत्र रूड़ाराम नाम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम राधेश्याम पुत्र रूड़ाराम है। प्रार्थी के कथन की पुष्टि प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, डाईविग लाईसेन्स, जन आधार कार्ड व प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत एवं बयान गवाहान व रिपोर्ट पटवारी हल्का आगवाड़ी से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकार्ड, दस्तावेजात, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत, बयान गवाहान के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरूस्ती के आदेश दिये जाते हैः—

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
बरसिंहवास	खाता संख्या 21,36	लाला पुत्र रूड़ाराम	राधेश्याम पुत्र रूड़ाराम

शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर))

(हस्ताक्षर)
राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)